न्यायालय अति.जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः– 2/16 दायरा दिनांक 22.01.2016

आर.सी.एम.एस. नम्बर – 2016/00035

पीठासीन अधिकारी :– श्री हीरालाल वर्मा (आर.ए.एस.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उनवान

गिर्राज पुत्र उदयसिंह जाति बंजारा निवासी बकनपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां – **प्रार्थी**

बनाम

1. कालूराम पुत्र किशनलालजाति सहरिया निवासी जगदेवपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां – **अप्रार्थीगण**

उपस्थित :–

श्री एम.आई. खान, अभिभाषक प्रार्थी।

प्रार्थना–पत्र वास्ते निरस्त किये जाने आवंटन अंतर्गत नियम 14(4)

कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 वांके ग्राम जगदेवपुरा ख.नं. 26 रकबा 5 बीघाआवंटन दिनांक 07.09.1998

निर्णय दिनांक 28.06.2019

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 14(4) के अंतर्गत प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये अप्रार्थीगण की तलबी की गई।

अप्रार्थी क्रम 1 को किया गया आवंटन ग्राम जगदेवपुरा तहसील किशनगंज में ख.न. 26 रकबा 5.00 बीघा अपूर्ण कोरम व प्रक्रिया द्वारा किये जाने से अवैधानिक होने से निरस्तनीय है।भू आवंटन कमेटी ने भू आवंटन नियमों व प्रावधानों की पालना नहीं की है ना ही आवंटन बाबत् खुले स्थान पर उद्घोषणा चस्पा की है, इस कारण अप्रार्थी क्रम 1 को किया गया आवंटन प्रक्रिया के अभाव में गलत एवं अवैध होने से निरस्तनीय है।आवंटन भूमि वक्त आवंटन खाली नहीं थी वक्त भूमि ओकूपाईड भूमि की श्रेणी में आती है, इस कारण आवंटन निरस्तनीय है।आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई आवंटन के प्रथम वर्ष 50 प्रतिशत तथा अगले वर्ष पूर्ण भूमि पर काश्त करना आवश्यक है जो आवंटी ने उक्त शर्तो की पालना नहीं किया इस कारण उक्त आवंटन निरस्तनीय है।उक्त आवंटन शुदा भूमि प्रार्थी के परिवार की आजीविका का साधन है यदि उसे उक्त आराजी सेबेदखल कर दिया तो उसका परिवार भूखों मरने की स्थिति में आ जावेगा।आवंटन आदेश दिनांक 07.09.1998 की सर्वप्रथम जानकारी प्रार्थी को दिनांक 20.12.2015 को हुई उसी दिन प्रार्थी ने नकल लेने हेतु आवेदन पेश किया जिसकी नकल दिनांक 23.12.2015 को प्राप्त हुई। अपील बिना किसी विलम्ब के श्रीमान की सेवा में प्रस्तुत है विलम्ब माफी हेतु पृथक से धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है इस कारण अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अपीलान्ट द्वारा अपील देरी से प्रस्तुत करने पर देरी को माफ करने हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत पृथक से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। जो शामिल पत्रावली है। अपीलान्ट द्वारा उक्त आवंटन की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20.12.2015 को तत्पश्चात् नकल प्राप्त करने पर हुई। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 में वर्णित कारणों से हम सहमत हैं। अतः प्रस्तुत अपील में डिले को माफ करते हुए अवधि मध्य मानी जाकर अपील विचारार्थ स्वीकार की जाती है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपील में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए, कथन किया कि अपील में अंकित तथ्यो को बहस माना जावे आवंटी का आज तक कब्जा नही रहा हैं सदैव से अपीलॉट का कब्जा रहा है। प्रार्थी ने ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया जिससे आवंटन विधि विरूद्व साबित होता हो ।

इस प्रकार विवादित आराजी पर अप्रार्थी क्रम 1 कालूलाल का आवंटन विधि सम्मत पाया जाता है। प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। आवंटी का आवंटन यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)